राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर.

क्रमांकः–निसंशि/संस्था–1/स्थाना0/2016/ 41945-82 दिनांकः– 16/11/2016

समस्त प्राचार्य,
राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– स्थानान्तरण आदेश की पालना के संबंध में।
प्रसंगः– राज्य सरकार के आदेशांक पं.1(28)शिक्षा–6/2015/Transfer जयपुर दिनांक 07.10.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश द्वारा महाविद्यालय संवर्ग के प्राचार्य/प्रोफेसर/व्याख्याताओं के स्थानान्तरण किये गये थे।

उक्त क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि राज्य सरकार के उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.10.2016 जो कि विभाग द्वारा समसंख्यक पत्रांक 36352–60 दिनांक 10.10.2016 द्वारा सभी प्राचार्यों एवं संबंधित स्थानान्तरित कार्मिक को पृष्ठांकित किये जाने के उपरान्त भी स्थानान्तरण आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राज्य सरकार के आदेश की पालना नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया जाकर सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल स्थानान्तरित स्थान हेतु कार्यमुक्त कर विलम्ब के कारणों सहित स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत करावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालय के प्राचार्यों का स्थानान्तरण हुआ वे संस्था में वरिष्ठतम प्रोफेसर/व्याख्याता को अपना कार्यभार संभला कर तत्काल स्थानान्तरित संस्था में कार्यारम्भ करें।

उक्त आदेश की पालना कर सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर.